संख्या: 22/ 2019/ 64 बीपी / 35-1-2019

प्रेषक,

आर.एन.एस. यादव,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 15 नवम्बर,2019

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं की स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित निम्नलिखित 04 परियोजनाओं की शासनादेश सं0-24/2018/114 बीपी/35-1-2018 दिनांक 29 अगस्त,2018 द्वारा रू. 255.35 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 145.37 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 42.30 करोड़ की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि रू. 103.07 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में समर्पित कर दी गई।

इस प्रकार प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुए व्यय को समायोजित करते हुए रू. 213.05 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने हेतु बचती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की प्रश्नगत 04 परियोजनाओं हेतु शासनादेश सं. 16/2019/64 बीपी/35-1-2019 दिनांक 04 जून, 2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 106.44 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा माह अगस्त,2019 तक रू. 82.44 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है। इस प्रकार प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु रू. 106.61 करोड़ अवमुक्त करने हेतु अवशेष है।

एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रश्नगत परियोजनाओं के चालू कार्यों हेतु विभागीय मांग के अनुरूप तृतीय किश्त के रूप में रू. 106.61 करोड़ (रूपये एक सौ छः करोड़ इकसठ लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. करोड़ में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय	वित्तीय वर्ष 2019-20		अवमुक्त धनराशि
				द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि	लागत के सापेक्ष अवशेष देय धनराशि	
1	बण्डई डैम प्रोजेक्ट(अवशेषकार्य)	70.74	35.37	31.83	3.54	3.54
2	मझगवांचिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	18.24	2.96	10.00	5.28	5.28
3	कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	76.49	2.58	36.61	37.30	37.30
4	शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	89.88	1.39	28.00	60.49	60.49
	योग	255.35	42.30	106.44	106.61	106.61

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 29 अगस्त, 2018 व 04 जून, 2019 की शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2. प्रशासकीय विभाग द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है, तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

4. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून, 2020 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5. परियोजनाओं हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का होगा और तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी तथा व्यय धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षों के नामे डाला जायेगा। लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-86-स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना (के.100 / रा.0-के.) -24-वृहद निर्माण कार्य की मद में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें (के.100 / रा.0-के.)-42-अन्य व्यय की मद में उपलब्ध बचतों से आदेश यू0ओ0 संख्या-04बीके/35-1-2019 दिनांक 14 नवम्बर,2019 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2019/ बी-1-170/ दस-2019-231/ 2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 22/2019/64 बीपी (1) /35-1-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूट धाम मण्डल।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट/ ललितपुर।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 22/ 2019/ 64बीपी/ 35-1-2019 दिनांक 15 नवम्बर, 2019 का संलग्नक

(रू. करोड़ में)

	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	लेखाशीर्ष
1	बण्डई डैम प्रोजेक्ट (अवशेष कार्य)	70.74	3.54	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र- 800-अन्य व्यय-04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें- 85-बण्डई डैम परियोजना (अवशेष कार्य) (के.100 / रा.0-के.)-24- वृहद निर्माण कार्य
2	मझगवांचिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	18.24	5.28	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछड़े क्षेत्र- 800-अन्य व्यय-04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें- 86-स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना (के.100 / रा.0-के.) - 24- वृहद निर्माण कार्य
3	कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	76.49	37.30	
4	शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना	89.88	60.49	
	योग	255.35	106.61 (रूपये एक सौ छः करोड़ इकसठ लाख मात्र)	

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।